रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704] नई दिल्ली, शनिवार, जून 01, 2019/ज्येष्ठ 11, 1941
No. 1704] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 01, 2019/JYAISTHA 11, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

का.आ. 1909(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2144 (अ), तारीख 24 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थीं, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 25 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए थे;

कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के अरियालूर तालुक (अरियालूर नगर से लगभग 20 किलोमीटर), जिला अरियालूर में 79° 2' 6.56" पू और 79° 3' 26.2" पू देशांतर और 10° 58' 12.19" उ और 10° 58' 50" उ अक्षांश में स्थित है इसका क्षेत्रफल 4.53715 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य किलाकाबात्तनकूरूची, कराईवेत्ती, कोवीलेस्सनाई पूर्व, सूत्तामल्ली, साथमनगलम, वेंगनूर और वेत्तीनूर राजस्व ग्रामों से घिरा हुआ है।

और, यह अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे ताजे जल की महत्वपूर्ण आहार भूमि है। इस अभयारण्य में 82 जल पक्षियों सहित पक्षियों की 188 अभिलिखित प्रजातियों की मौजूदगी दावा किया जाता है । यहां एक बार में कम से कम 45 पक्षी प्रजातियाँ सुलभ हैं और यह स्थान ऑनिथोलॉजिस्ट और शोधकर्ताओं के लिए एक विकल्प-स्थान है। प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से 60,000 पक्षी इस अभयारण्य में आते हैं। इस अभयारण्य में पक्षी प्रजातियां अर्थात् *ओपन*

बिल्लेड स्ट्रोक, वाइट लबिस, ब्लैक लबिस, डारटेर, स्पोट बिल्लेड पेलिकन, कारमोरंट और कई अन्य प्रजातियां प्रजनन करती हैं।

और, इस अभयारण्य में संकटापन्न प्रजातियां अर्थात् बार हेडेड बतख, हाईएस्ट-फ्लाइंग भी देखने को मिलती हैं। विश्व में सबसे ऊंचा उड़ने वाली और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से भी उड़ने वाली चिडिया के बारे में बताया जाता है कि वह लद्दाख और 7 तिब्बत में प्रजनन करती है। यह प्रजातियां (जिसे एच 1 एन 1 बर्ड फ्लू वायरस के वाहक के रूप में लिए जाना जाता है) फरवरी के अंत में यहां पहुंचती है और मई के महीने तक यहां रहकर वापस अपने प्रजनन स्थल पर उड़ जाती है।

और, यह अभयारण्य मूलत: एक सिंचाई टैंक है। इसमें कोई प्राकृतिक वन नहीं है। 1981 से 1988 तक टैंक के पश्चिमी तट पर वन विभाग के सामाजिक वानिकी विंग द्वारा बबूल *(अकैशिया नीलोटीका)* के पेड़ लगाए गए थे। *ओपन बिल्ल स्ट्रॉक, वाईट इबिस* आदि जैसे पक्षी इन बबूल वृक्षों को अपने बसेरे और घोंसले बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं।

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतुओं की विविधता है। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण पक्षी हैं- लिटिल ग्रेबे *(टचयबापटुसयुफिकाल्लिउस)*, ग्रे पेलिकन *(पेलेकननस्थीलिप्पेनिसिसि)*, लिटिल कॉर्मोरेंट *(फलाक्रोकोराक्रिगेर)*, ग्रेट कॉर्मोरेंट *(फलाक्ररोकोरक्स कारबो)*, डारटेर *(अंहीन्गा रूफा)*, लिटिल इग्रेट *(इगरेट्टागरोजेटा)*, ग्रे सारस *(अरदेयकिनेरया)*, बैगनी सारस *(अरदेयपुरपुरेया)*। इस अभयारण्य में जैसे ग्रे नेवला *(हेरपेस्टेसेडवार्डसी)*, इंडियन पाम गिलहरी *(फुनाम्बुलुस्पाल्मरूम)* जैसे स्तनधारी भी विद्यमान हैं। इस अभयारण्य में भूमि पर रहने वाले पक्षी अभिलिखित पक्षी हैं ओरिइंटल हनी-बुज्जार्ड *(पेरनिसपतिलोरिनचूस)*, ब्लैक-सोल्डेरेड काइट *(इलानुस्काईरुलेउस)*, बरहमिनी काइट *(हलिएस्टुरिन्डुस)*, बरहमिनी काइट *(हलियस्टुर इंदुस)*, *वेस्टर्न मार्श-हैरियर (किरकुस अरूगिनेसु)*, *शिकरा (अकिपिटेर बादीउस)*, *ओसपरेय (पंदीओन हालियटुस)* और कॉमन केस्टरेल *(फल्कू टींनुन्कुलुस)*। इस अभयारण्य की विविध प्रजातियों में तितलियां, कीड़े मकोडें और सरीसृप जैसे इ.जी. हाउस छिपकली (*हेमिदाक्टीलुसफरेनाटुअस)*, स्पोटेड इंडियन छिपकली *(हेमिदाक्टयलुस्बरौकी)*, ग्राडेन लिर्जाड *(कलोटेस्वेरसिकोलोर)*, कॉमन इंडियन स्किंक *(इयट्रोफिस्करीनता)*, ओलिव कैल्बक *(अत्रेतिश्चिसतोसुम) और* चेक्केरद्कैल्वबक *(क्सेनोक्रोफिसपीसकेटर)* शामिल हैं। इस अभयारण्य में पाए जाने वाली लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां लिटिल ग्रेबे *(तचयबप्तुसुफिकोल्लिस)*, लिटिल कॉर्मोरेंट *(फलाकरोकोराक्रिग्रेर)*, ग्रेट कॉर्मोरेंट *(फलाकरोकोरक्स कारबो)*, परपल सारस *(अरदेपुरपुरिया)*, लिटिल ग्रीन *सारस (बुटोरिदेस्सटरिअटुस)*, स्पोट-बिल्लेड पेलिकन *(पेलेकनुस्फिलिप्पेंसिस)*, और पैंटेड स्ट्रोक *(मयक्टेरिलेउकोकेफला)* हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.105 किलोमीटर से 0.891 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.105 किलोमीटर से 0.891 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 5.519 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ड.** में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III (क)** और**(ख)** में है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग;
(xii) राजमार्ग;
(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

IndiaCode

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी के पैरा 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

(10) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिये गये संवर्धित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.** – पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
(1)	**(2)**	**(3)**
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में तारीख 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

IndiaCode

3.	बड़ी ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और गृह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप

		लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

IndiaCode

	पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	जिला कलेक्टर, अरियालूर	-अध्यक्ष;
2.	राजस्व संभाग अधिकारी, अरियालूर	–सदस्य;

3.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	जिला पर्यावरण इंजीनियर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अरियालूर	–सदस्य;
8.	परियोजना अधिकारी, डीआरडीए, अरियालूर	–सदस्य;
9.	जिला वन अधिकारी, अरियालूर	–सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा0सं0 25/07/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

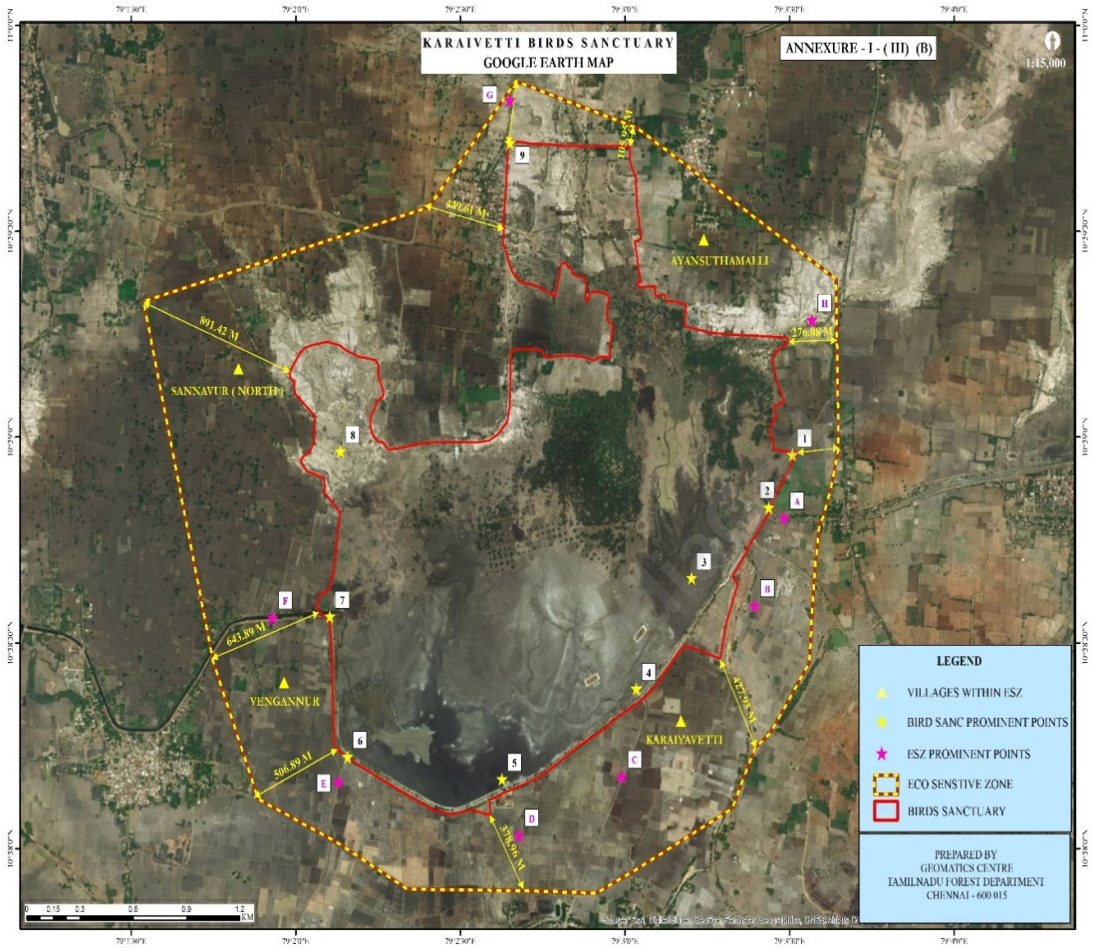
संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	सीमा स्टेशन सं. 19 से आरंभ होकर स्टेशन सं. 20 से होते हुए अयनसूथामल्ली ग्राम के पूर्वी भाग की ओर जाती है।
उत्तर पूर्व	सीमा स्टेशन सं.20 और स्टेशन सं.20 से आरंभ होती है और अयनसूथामल्ली ग्राम की ओर जाती है।
पूर्व	सीमा स्टेशन सं.21 से आरंभ होकर और स्टेशन सं.1, 2, 3, 4, 5 से होते हुए कराईवेत्ती ग्राम की ओर जाती है।
दक्षिण पूर्व	अत: सीमा स्टेशन सं. 6 से स्टेशन सं.12 तक कराईवेत्ती ग्राम की ओर जाती है।
दक्षिण	अत: सीमा स्टेशन सं. 12 से आरंभ होकर स्टेशन सं.14 तक वेंगनूर ग्राम से होते हुए जाती है।
दक्षिण पश्चिम	सीमा स्टेशन सं.15 से सन्नावूर उत्तर ग्राम की ओर स्टेशन सं.17 तक जाती है।
पश्चिम	सीमा स्टेशन सं. 17 से सन्नावूर उत्तर ग्रामों की ओर स्टेशन सं.18 तक जाती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा स्टेशन सं. 18 से आरंभ होती है और अयनसूथामल्ली ग्राम से होते हुए स्टेशन सं.19 पर समाप्त होती है।

IndiaCode

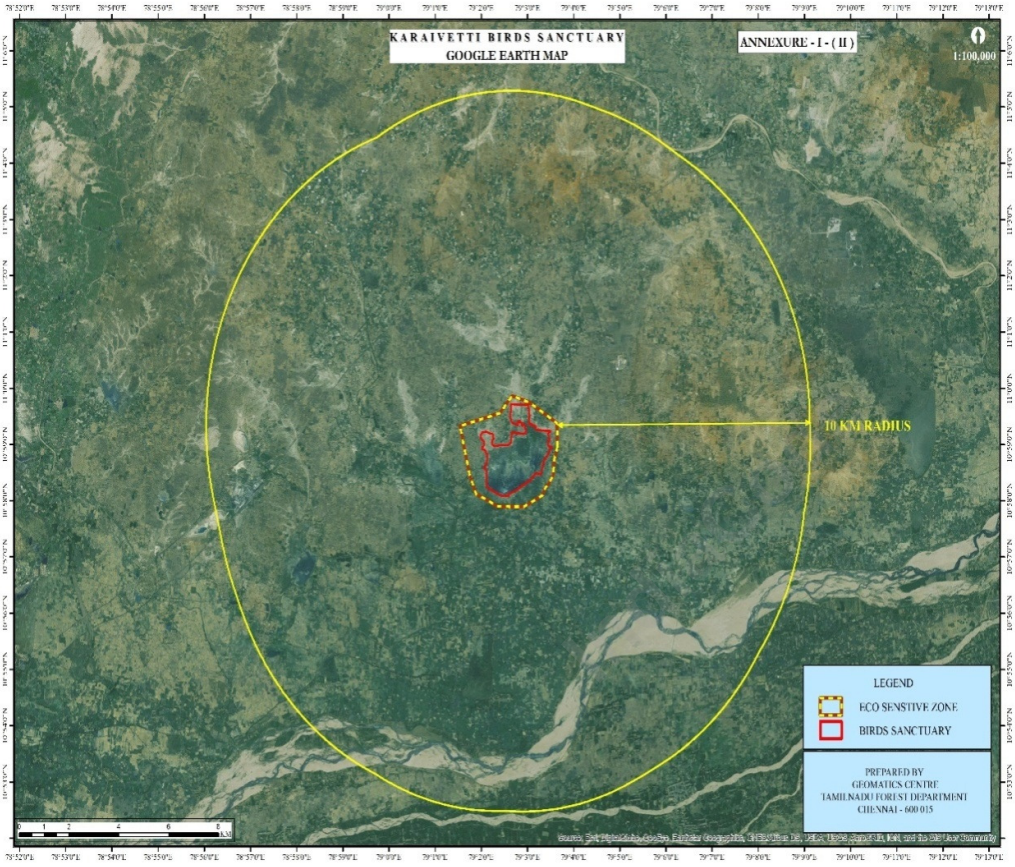
उपाबंध- IIक

कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



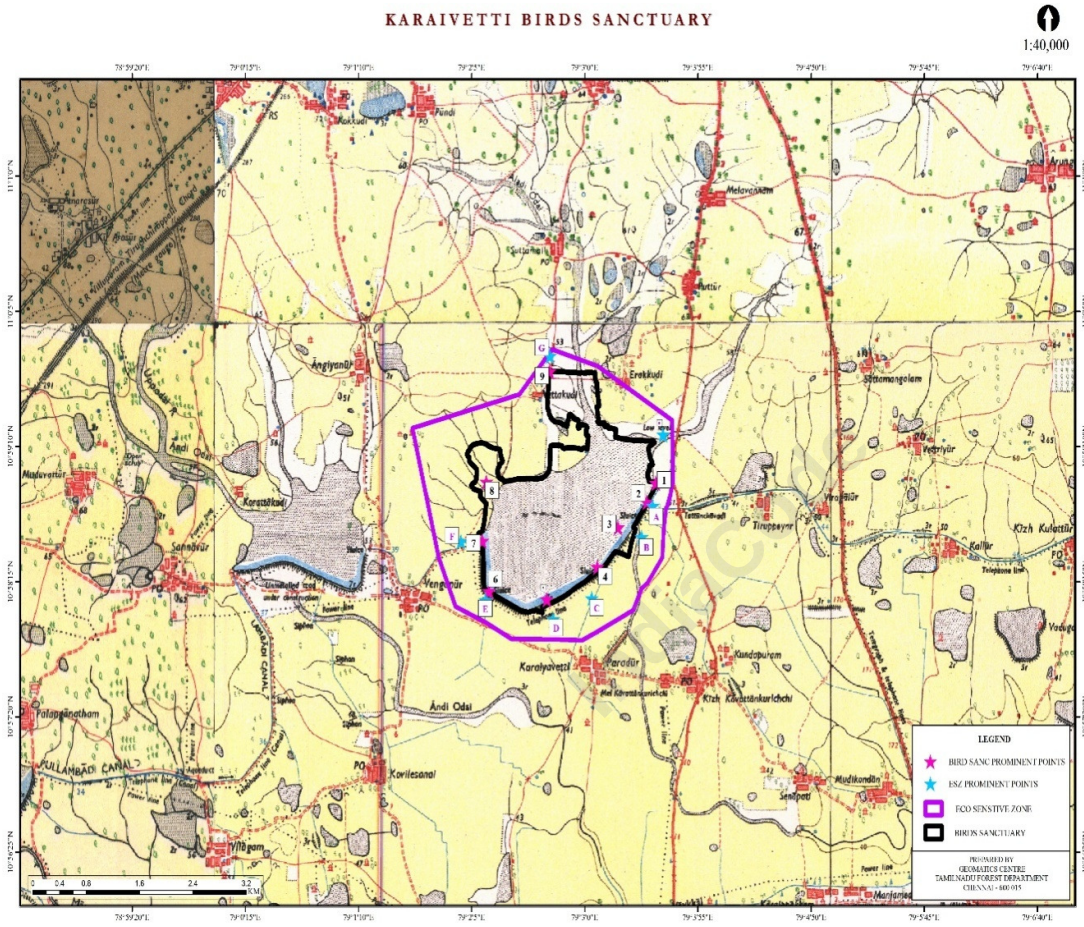
उपाबंध- IIख

कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



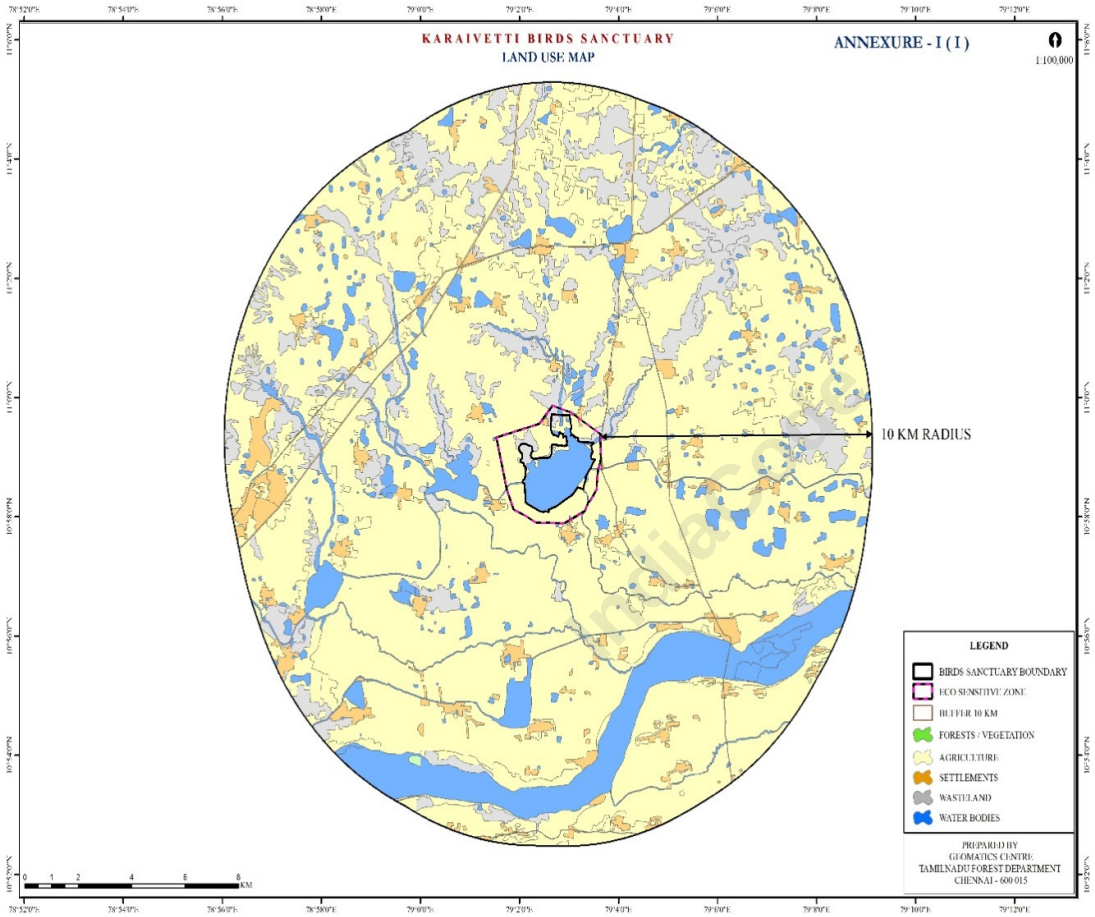
उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



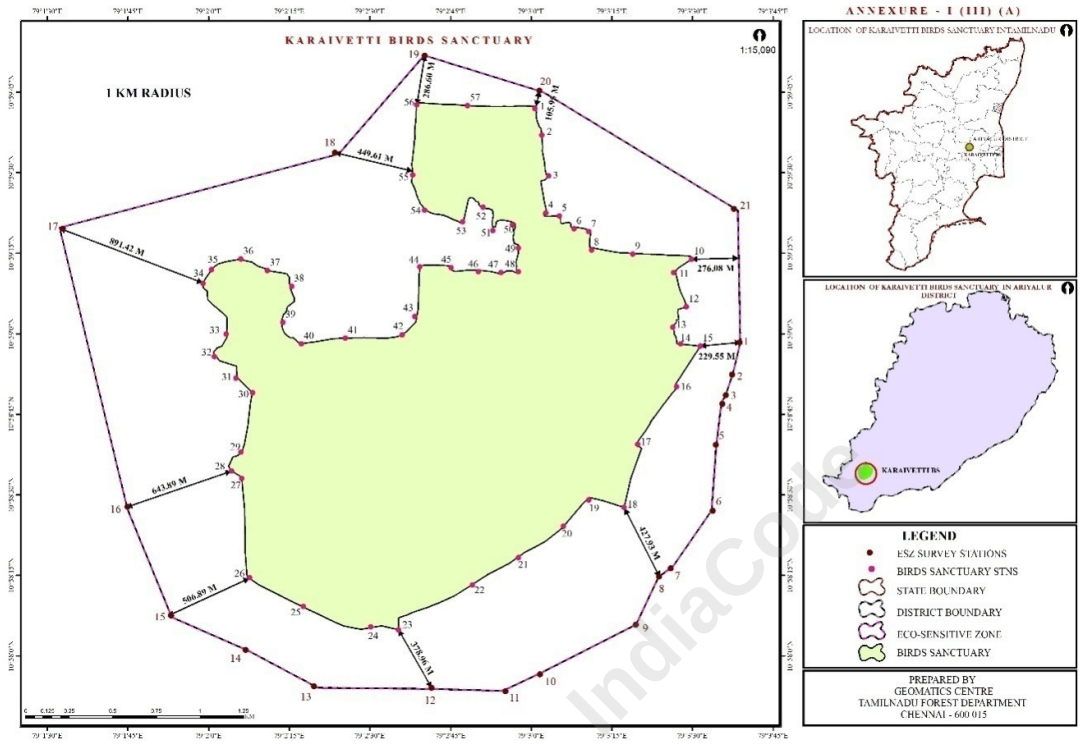
उपाबंध- II घ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



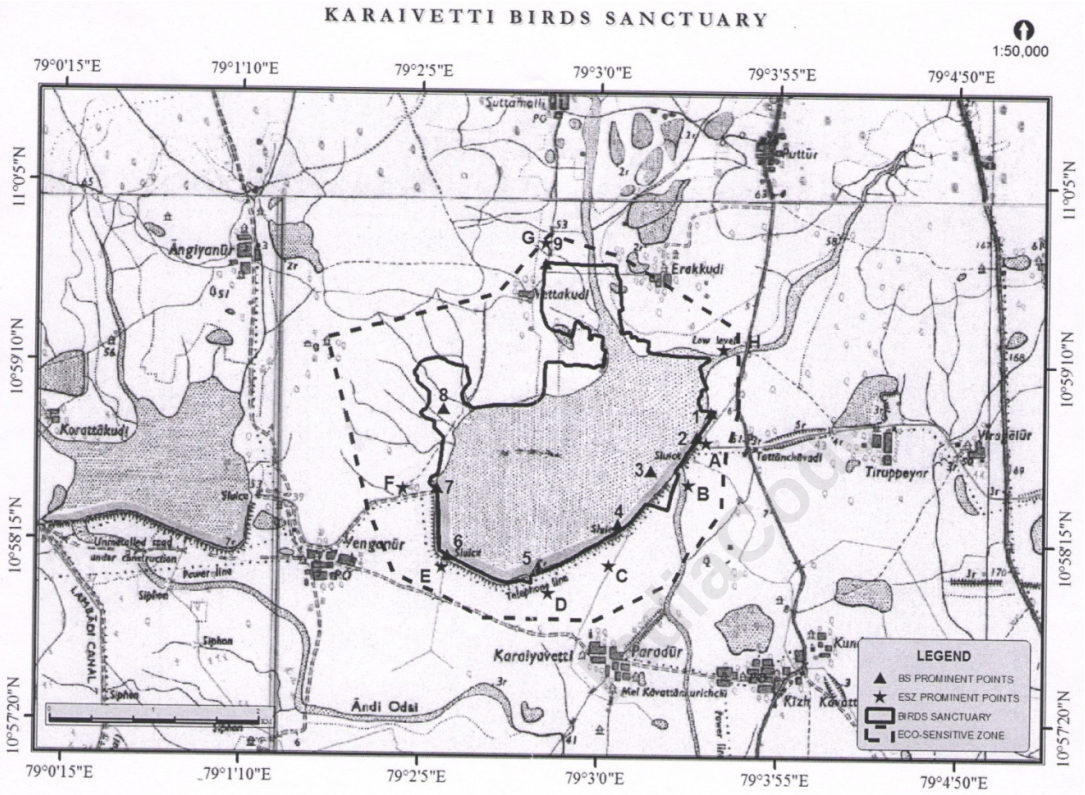
उपाबंध- IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIच

रेखाछाया के साथ कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1.	1	उ	10°59'42"	79°3'1"
2.	2	उ पू	10°59'37"	79°3'2"
3.	3	उ पू	10°59'29"	79°3'3"
4.	4	उ पू	10°59'23"	79°3'3"
5.	5	उ पू	10°59'22"	79°3'5"
6.	6	उ पू	10°59'20"	79°3'8"
7.	7	उ पू	10°59'19"	79°3'11"
8.	8	उ पू	10°59'16"	79°3'11"
9.	9	उ पू	10°59'15"	79°3'19"

10.	10	उ पू	10°59'15"	79°3'30"
11.	11	उ पू	10°59'11"	79°3'27"
12.	12	उ पू	10°59'5"	79°3'29"
13.	13	उ पू	10°59'1"	79°3'26"
14.	14	पू	10°58'58"	79°3'28"
15.	15	पू	10°58'57"	79°3'31"
16.	16	पू	10°58'50"	79°3'27"
17.	17	द पू	10°58'39"	79°3'20"
18.	18	द पू	10°58'29"	79°3'17"
19.	19	द पू	10°58'29"	79°3'11"
20.	20	द पू	10°58'24"	79°3'6"
21.	21	द पू	10°58'18"	79°2'57"
22.	22	द	10°58'13"	79°2'49"
23.	23	द प	10°58'7"	79°2'36"
24.	24	द प	10°58'6"	79°2'30"
25.	25	द प	10°58'9"	79°2'18"
26.	26	द प	10°58'15"	79°2'7"
27.	27	द प	10°58'33"	79°2'6"
28.	28	द प	10°58'35"	79°2'3"
29.	29	द प	10°58'38"	79°2'6"
30.	30	द प	10°58'49"	79°2'8"
31.	31	प	10°58'52"	79°2'5"
32.	32	प	10°58'56"	79°2'1"
33.	33	प	10°58'60"	79°2'3"
34.	34	उ प	10°59'6"	79°2'0"
35.	35	उ प	10°59'12"	79°2'1"
36.	36	उ प	10°59'14"	79°2'6"
37.	37	उ प	10°59'12"	79°2'11"
38.	38	उ प	10°59'9"	79°2'15"
39.	39	उ प	10°59'2"	79°2'14"
40.	40	उ प	10°58'58"	79°2'17"
41.	41	उ प	10°58'59"	79°2'25"
42.	42	उ प	10°58'60"	79°2'36"
43.	43	उ प	10°59'3"	79°2'38"
44.	44	उ प	10°59'12"	79°2'39"

IndiaCode

45.	45	उ प	10°59'12"	79°2'45"
46.	46	उ प	10°59'12"	79°2'50"
47.	47	उ प	10°59'11"	79°2'54"
48.	48	उ प	10°59'12"	79°2'57"
49.	49	उ प	10°59'16"	79°2'57"
50.	50	उ प	10°59'20"	79°2'56"
51.	51	उ प	10°59'19"	79°2'53"
52.	52	उ प	10°59'24"	79°2'51"
53.	53	उ प	10°59'21"	79°2'47"
54.	54	उ प	10°59'23"	79°2'40"
55.	55	उ प	10°59'30"	79°2'38"
56.	56	उ	10°59'43"	79°2'39"
57.	57	उ	10°59'42"	79°2'48"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थिति/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1.	1	पू	10°58'59"	79°3'38"
2.	2	पू	10°58'53"	79°3'37"
3.	3	पू	10°58'49"	79°3'35"
4.	4	द पू	10°58'48"	79°3'35"
5.	5	द पू	10°58'39"	79°3'34"
6.	6	द पू	10°58'27"	79°3'33"
7.	7	द पू	10°58'17"	79°3'26"
8.	8	द पू	10°58'15"	79°3'23"
9.	9	द पू	10°58'6"	79°3'19"
10.	10	द पू	10°57'57"	79°3'1"
11.	11	द	10°57'54"	79°2'54"
12.	12	द	10°57'54"	79°2'41"
13.	13	द	10°57'54"	79°2'20"
14.	14	द प	10°58'1"	79°2'7"
15.	15	द प	10°58'8"	79°1'52"
16.	16	द प	10°58'28"	79°1'44"
17.	17	उ प	10°59'20"	79°1'32"

IndiaCode

18.	18	उ प	10°59'34"	79°2'24"
19.	19	उ	10°59'52"	79°2'39"
20.	20	उ	10°59'45"	79°3'2"
21.	21	उ पू	10°59'23"	79°3'38"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कराईवेत्ती पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1.	अयनसूथमल्ली	राजस्व ग्राम	अरियालूर	अरियालूर	10°59'45"	79°3'2"
2.	केराईवत्ती	राजस्व ग्राम	अरियालूर	अरियालूर	10°57'54"	79°2'41"
3.	वेंगनोर	राजस्व ग्राम	अरियालूर	अरियालूर	10°58'8"	79°1'52"
4.	सन्नवुर उत्तर	राजस्व ग्राम	अरियालूर	अरियालूर	10°59'20"	79°1'32"

indiacode

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

S. O. 1909(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2144 (E), dated the 24th May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on dated the 25th May, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

WHEREAS, the Karaivetti Bird Sanctuary is located in Ariyalur District, Ariyalur taluk (about 20 kms from Ariyalur Town) of Tamil Nadu, between 79° 2' 6.56" E and 79° 3' 26.2" E longitude and 10° 58' 12.19" N and 10° 58' 50" N latitude, encompassing an area of 4.53715 square kilometres. The sanctuary is surrounded by KilaKavattankuruchi, Karaivetti, Kovilessanai east, Suttamalli, Sathamangalam, Venganur and Vettiyur Revenue villages;

AND WHEREAS, the sanctuary is one of the most important fresh water feeding ground for migratory water birds in the State of Tamil Nadu. The sanctuary stakes a claim of 188 recorded species of birds including 82 water birds. At any instance at least 45 bird species can be spotted offering a choice location for ornithologists and researchers besides bird watching enthusiasts. About 50,000 to 60,000 birds frequent this bird sanctuary annually. The bird species viz., Open billed stork, White Ibis, Black Ibis, Darter, Spot billed pelican, Cormorant and many other species breed in this sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is visited by an endangered species viz. Bar headed goose, the highest-flying bird in the world reported to be flying over the Mt.Everest having its breeding ground in Ladakh and Tibet. This species (also known for carrying H1N1 bird flu virus) arrive during end of February and remain until the month of May before flying back to its breeding ground;

AND WHEREAS, as the sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the sanctuary. *Babul* (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Social Forestry wing of the Forest Department from 1981 to 1988 on the western foreshores of the tank. The Acacia trees are being used for roosting and nesting by birds like open bill stork, White Ibis, etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary has good diversity of flora and fauna. The important birds found in the sanctuary are little grebe (*Tachybaptusruficollius),* Grey Pelican (*Pelecanusthilippenisis),* little cormorant (*Phalacrocoraxniger),* Great cormorant (*Phalacrocorax carbo),* Darter*(Anhinga rufa),* Little egret *(Egrettagrazetta),* Grey heron *(Ardeacinerea),* Purple heron *(Ardeapurpurea).*The mammals present in the sanctuary are Indian Grey Mongoose (*Herpestesedwardsii),* Indian Palm Squirrel (*Funambuluspalmarum).* The land birds recorded in the sanctuary include Oriental Honey-Buzzard (*Pernisptilorhynchus),* Black-shouldered Kite *(Elanuscaeruleus),* Barhminy Kite *(HaliasturIndus),*Barhminy,Kite (*Haliastur Indus),* Western Marsh-Harrier (*Circus aeruginosu*), Shikra (*Accipiter badius),* Osprey *(Pandion haliaetus)* and Common Kestrel *(Falco tinnunculus).* Variety of species such as butterflies, insects and reptiles are present in the sanctuary e.g. House Gecko (*Hemidactylusfrenatuas), Spotted* Indian Gecko (*Hemidactylusbrookii),* Garden lizard (*Calotesversicolor),* Common Indian Skink (*Eutrophiscarinata),* Olive keelback (*Atretiusschistosum)* and Checkeredkeelvback (*Xenochrophispiscator).*The endangered and threatened species found in the sanctuary are Little Grebe (*Tachybaptusruficollis),* Little Cormorant (*Phalacrocoraxniger),* Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo),* Purple Heron (*Ardeapurpurea), Little* Green Heron (*Butoridesstriatus),* Spot-billed Pelican (*Pelecanusphilippensis) and* Painted Stork (*Mycterialeucocephala*);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.105 kilometers to 0.891 kilometers around the boundary of Karaivetti Bird Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Karaivetti Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.105 kilometers to 0.891 kilometers around the Karaivetti Bird Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 5.519 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-F.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department;
(xii) Highways; and
(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometres from the boundary of the Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Bird Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste. - The E-waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

IndiaCode

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in

		February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents, such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification done by the Central Pollution Control Board; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) promoted activities listed in this notification: Provided that the construction activity related to small

IndiaCode

		scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable laws. Underground cabling may be promoted.
14.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Infrastructure civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under the applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

IndiaCode

23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

8. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

(1)	The District Collector, Ariyalur	Chairman,
(2)	Revenue Division Officer, Ariyalur	Member,
(3)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member,
(4)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member,
(5)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member,
(6)	A representative from State Public Works Department	Member,
(7)	District Environment Engineer, State Pollution Control Board, Ariyalur	Member,
(8)	Project Officer, DRDA, Ariyalur	Member,
(9)	District Forest Officer, Ariyalur	Member- Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-

sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

IndiaCode

[F. No. 25/07/2018-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

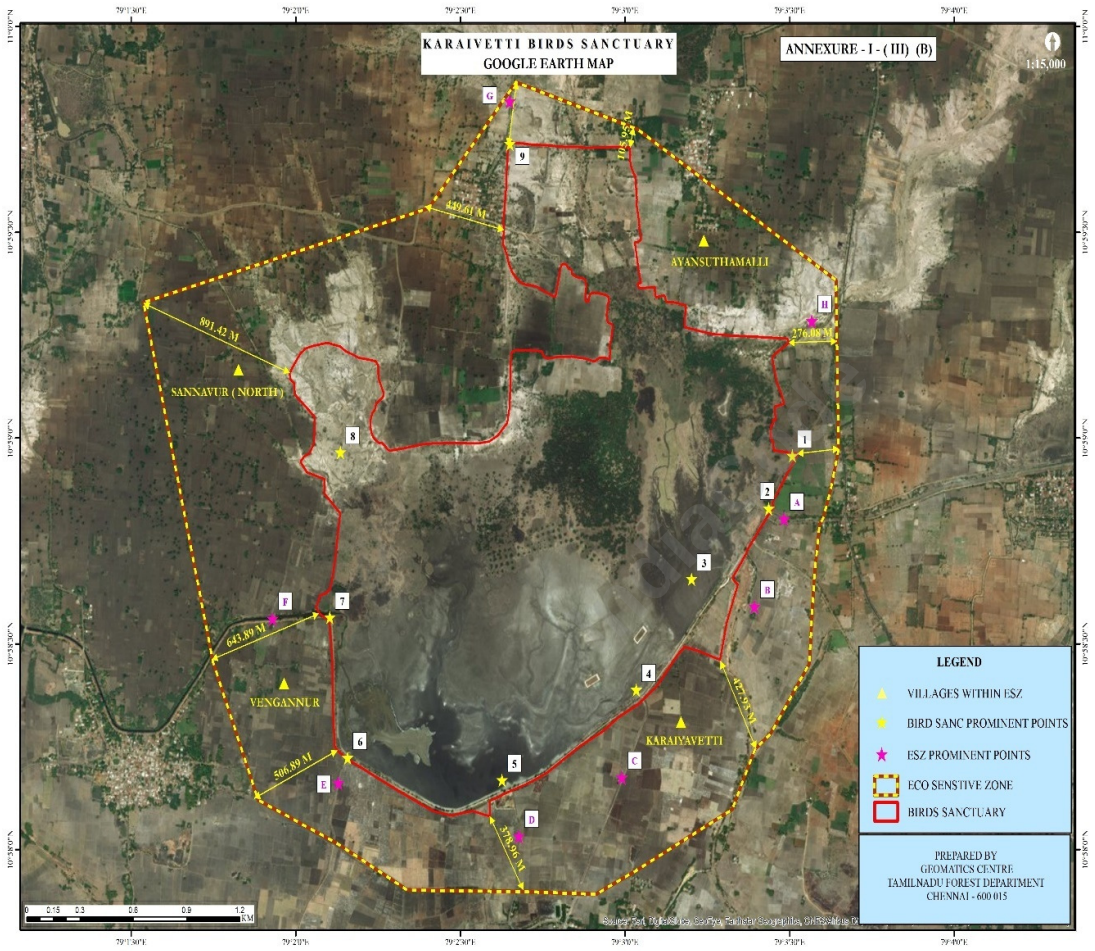
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The Boundary starts from Station No.19 and runs through Station No.20 towards eastern side to Ayansuthamalli village.
North East	The Boundary starts from Station No.20and Station No.21 run towards Ayansuthamalli Village.
East	Thence boundary starts from Station No.21 and runs through Station No.1, 2, 3, 4, 5 towards Karaivetti Village.
South East	Thence boundary runs from Station No.6 to Station No.12towards Karaivetti village.
South	Thence boundary starts from Station No.12 to Station No.14 run through Venganur village.
South West	Thence boundary runs from Station No.15 to Station No.17 towards Sannavur North village.
West	Thence boundary runs from Station No.17 to Station No.18 runs through Sannavur North villages.
North West	Thence boundary starts from Station No.18 and ends in Station No.19 runs to Ayansuthamalli village.

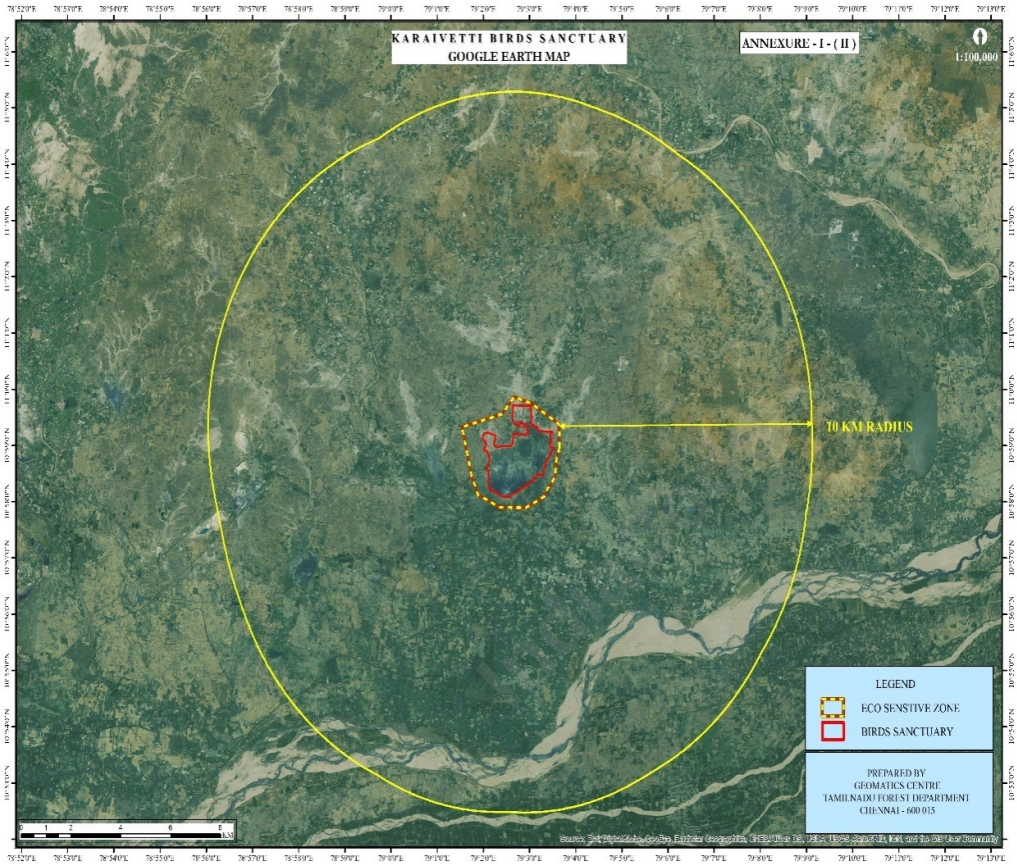
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY



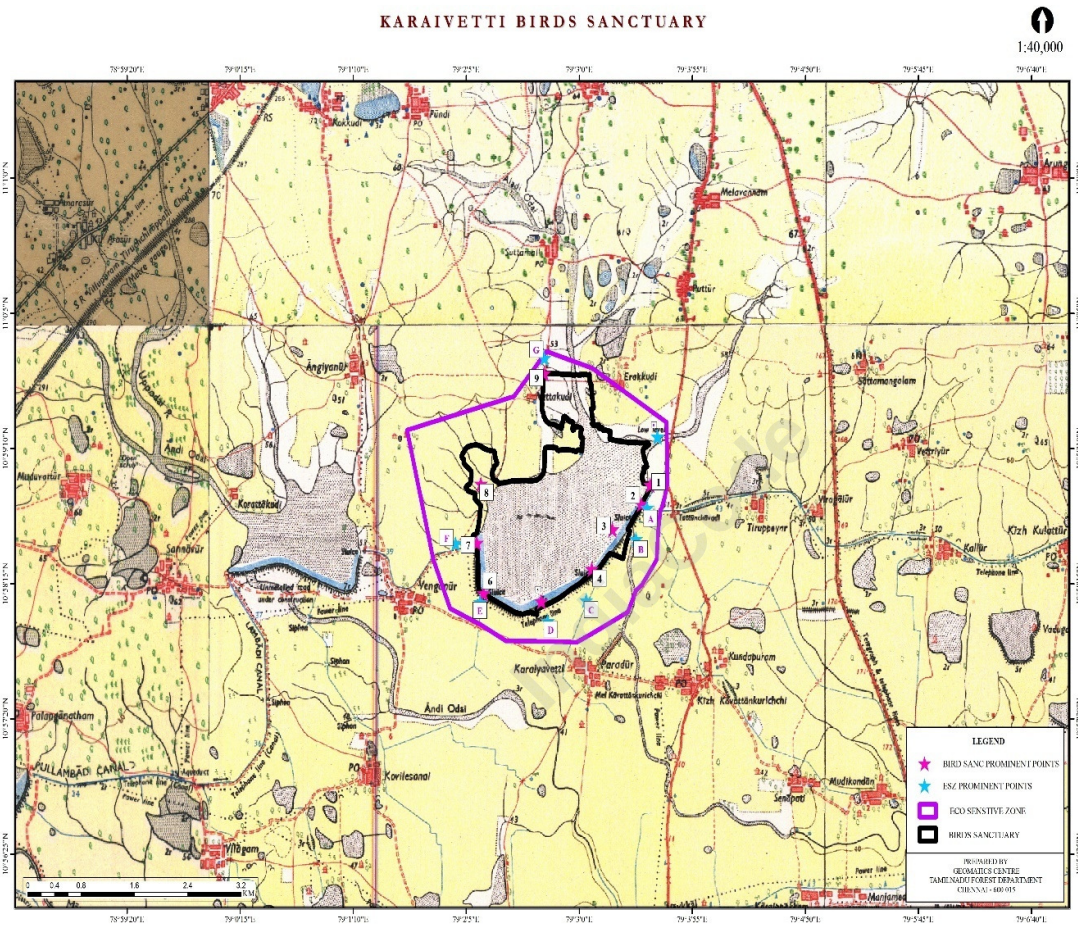
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY



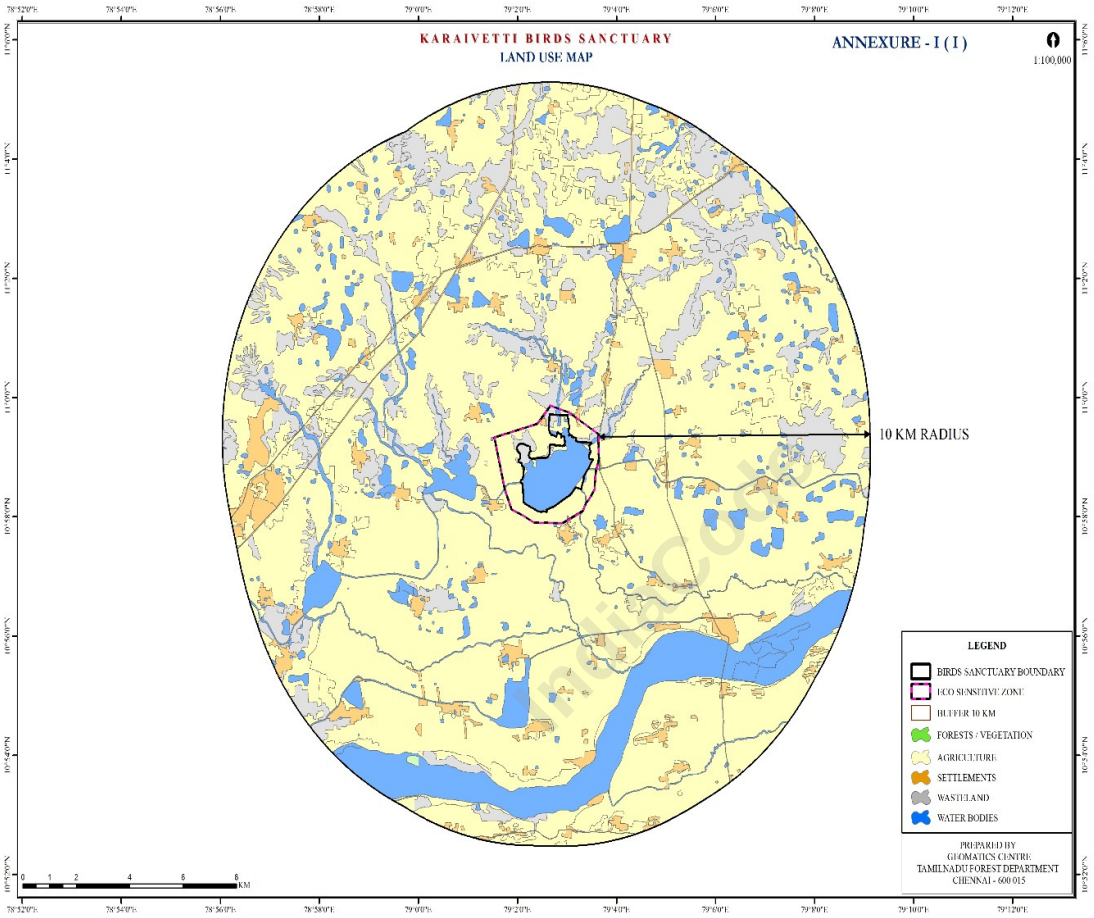
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



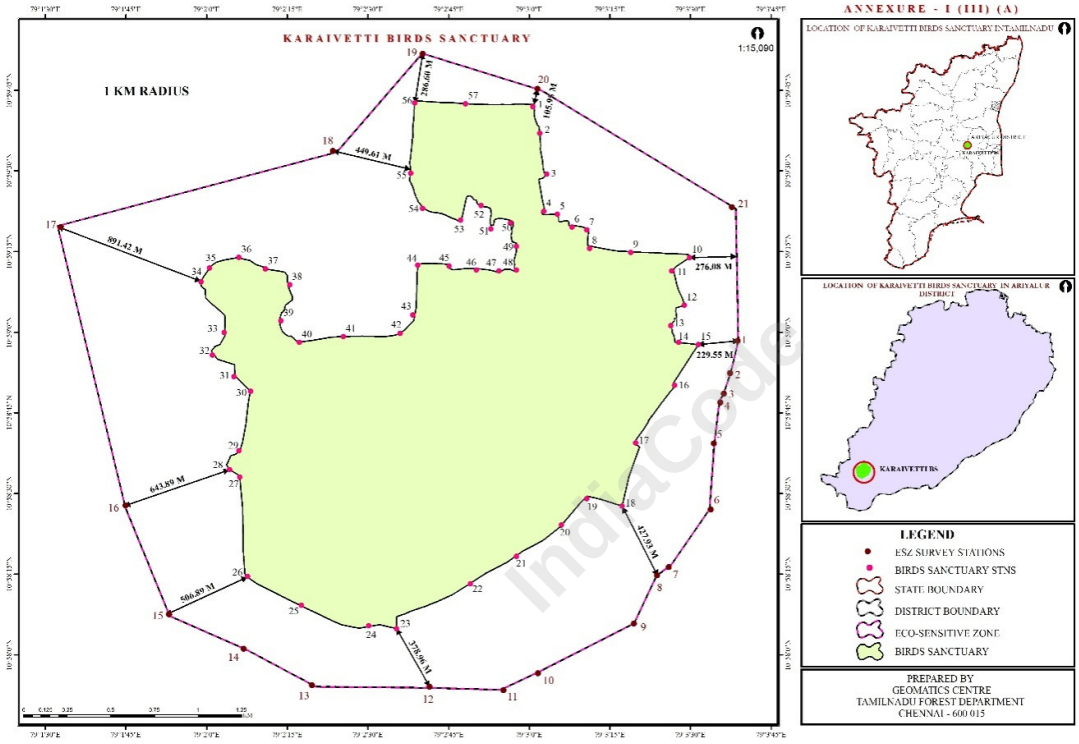
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



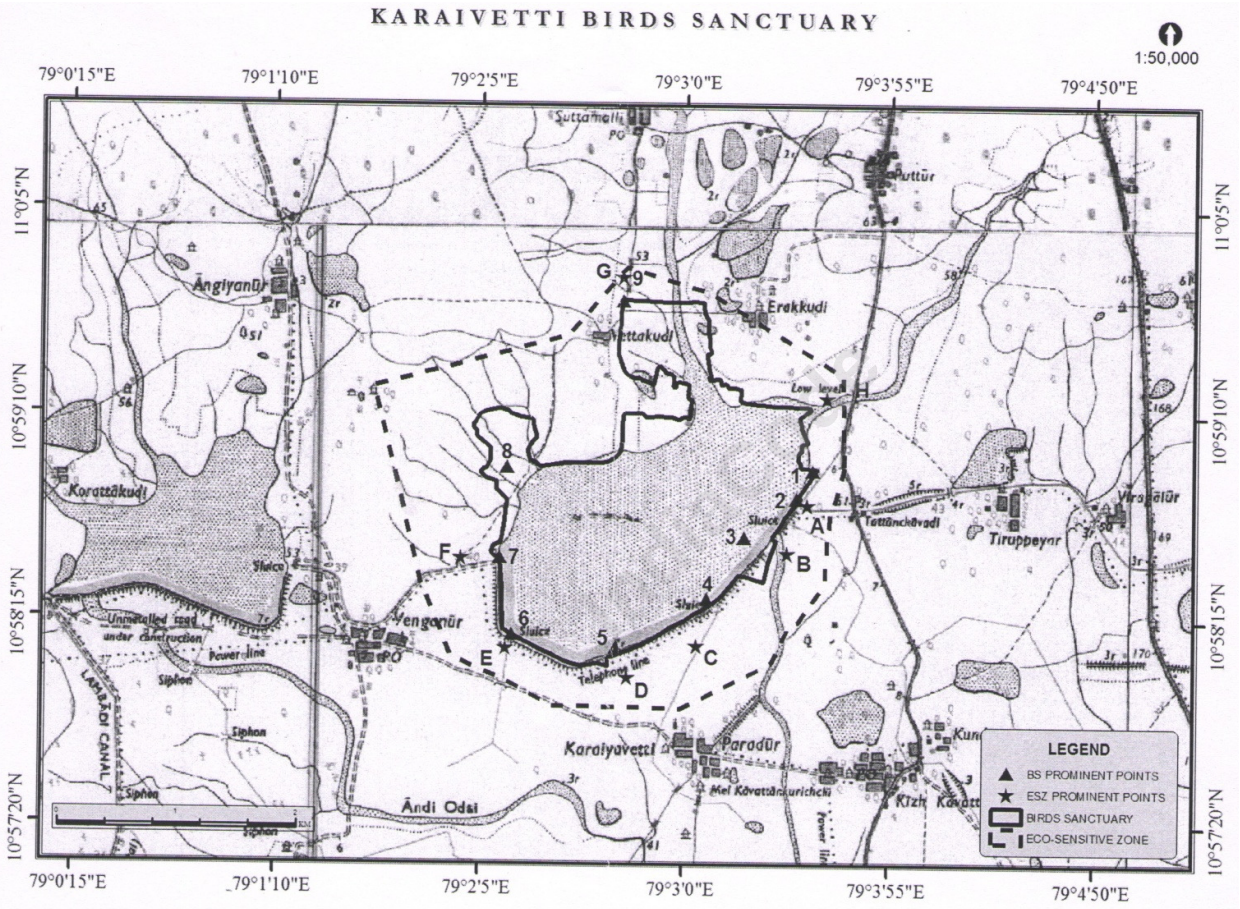
ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIF

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY WITH HATCHING



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Karaivetti Bird Sanctuary, Tamil Nadu

Sl. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of prominent point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	N	10°59'42"	79°3'1"
2.	2	NE	10°59'37"	79°3'2"
3.	3	NE	10°59'29"	79°3'3"
4.	4	NE	10°59'23"	79°3'3"
5.	5	NE	10°59'22"	79°3'5"
6.	6	NE	10°59'20"	79°3'8"
7.	7	NE	10°59'19"	79°3'11"
8.	8	NE	10°59'16"	79°3'11"

9.	9	NE	10°59'15"	79°3'19"
10.	10	NE	10°59'15"	79°3'30"
11.	11	NE	10°59'11"	79°3'27"
12.	12	NE	10°59'5"	79°3'29"
13.	13	NE	10°59'1"	79°3'26"
14.	14	E	10°58'58"	79°3'28"
15.	15	E	10°58'57"	79°3'31"
16.	16	E	10°58'50"	79°3'27"
17.	17	SE	10°58'39"	79°3'20"
18.	18	SE	10°58'29"	79°3'17"
19.	19	SE	10°58'29"	79°3'11"
20.	20	SE	10°58'24"	79°3'6"
21.	21	SE	10°58'18"	79°2'57"
22.	22	S	10°58'13"	79°2'49"
23.	23	SW	10°58'7"	79°2'36"
24.	24	SW	10°58'6"	79°2'30"
25.	25	SW	10°58'9"	79°2'18"
26.	26	SW	10°58'15"	79°2'7"
27.	27	SW	10°58'33"	79°2'6"
28.	28	SW	10°58'35"	79°2'3"
29.	29	SW	10°58'38"	79°2'6"
30.	30	SW	10°58'49"	79°2'8"
31.	31	W	10°58'52"	79°2'5"
32.	32	W	10°58'56"	79°2'1"
33.	33	W	10°58'60"	79°2'3"
34.	34	NW	10°59'6"	79°2'0"
35.	35	NW	10°59'12"	79°2'1"
36.	36	NW	10°59'14"	79°2'6"
37.	37	NW	10°59'12"	79°2'11"
38.	38	NW	10°59'9"	79°2'15"
39.	39	NW	10°59'2"	79°2'14"
40.	40	NW	10°58'58"	79°2'17"
41.	41	NW	10°58'59"	79°2'25"
42.	42	NW	10°58'60"	79°2'36"
43.	43	NW	10°59'3"	79°2'38"
44.	44	NW	10°59'12"	79°2'39"
45.	45	NW	10°59'12"	79°2'45"
46.	46	NW	10°59'12"	79°2'50"
47.	47	NW	10°59'11"	79°2'54"
48.	48	NW	10°59'12"	79°2'57"
49.	49	NW	10°59'16"	79°2'57"
50.	50	NW	10°59'20"	79°2'56"
51.	51	NW	10°59'19"	79°2'53"
52.	52	NW	10°59'24"	79°2'51"
53.	53	NW	10°59'21"	79°2'47"

IndiaCode

54.	54	NW	10°59'23"	79°2'40"
55.	55	NW	10°59'30"	79°2'38"
56.	56	N	10°59'43"	79°2'39"
57.	57	N	10°59'42"	79°2'48"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Sl. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of prominent point	Latitude (N) (DMS format)	Longitude (E) (DMS format)
1.	1	E	10°58'59"	79°3'38"
2.	2	E	10°58'53"	79°3'37"
3.	3	E	10°58'49"	79°3'35"
4.	4	SE	10°58'48"	79°3'35"
5.	5	SE	10°58'39"	79°3'34"
6.	6	SE	10°58'27"	79°3'33"
7.	7	SE	10°58'17"	79°3'26"
8.	8	SE	10°58'15"	79°3'23"
9.	9	SE	10°58'6"	79°3'19"
10.	10	SE	10°57'57"	79°3'1"
11.	11	S	10°57'54"	79°2'54"
12.	12	S	10°57'54"	79°2'41"
13.	13	S	10°57'54"	79°2'20"
14.	14	SW	10°58'1"	79°2'7"
15.	15	SW	10°58'8"	79°1'52"
16.	16	SW	10°58'28"	79°1'44"
17.	17	NW	10°59'20"	79°1'32"
18.	18	NW	10°59'34"	79°2'24"
19.	19	N	10°59'52"	79°2'39"
20.	20	N	10°59'45"	79°3'2"
21.	21	NE	10°59'23"	79°3'38"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KARAIVETTI BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N) (DMS format)	Longitude (E) (DMS format)
1.	Ayansuthamalli	Revenue Village	Ariyalur	Ariyalur	10°59'45"	79°3'2"
2.	Karaivetti	Revenue Village	Ariyalur	Ariyalur	10°57'54"	79°2'41"
3.	Venganur	Revenue Village	Ariyalur	Ariyalur	10°58'8"	79°1'52"
4.	Sannavur North	Revenue Village	Ariyalur	Ariyalur	10°59'20"	79°1'32"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

,

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.06.06 18:00:12 +05'30'